

सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिवेदन

राम पदारथ महतो

वी

मिश्री सिंह एवं एक अन्य

(पी.बी. गर्जेद्रगढ़कर, ए.के. सरकार और

के.एन. वांचू, न्यायमूर्तिगण)

*चुनाव - अयोग्यता - सरकार के साथ खाद्यान्न भंडारण का अनुबंध - क्या सरकार द्वारा किए गए सेवाओं के निष्पादन के लिए - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) धारा 7(घ)*

अपीलकर्ता एक संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य था, जो बिहार सरकार के साथ एक अनुबंध के तहत सरकारी अनाज भंडार का व्यवसाय करता था। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए उसका नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7(घ) के तहत अयोग्य था, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा किए गए सेवाओं के निष्पादन के अनुबंध में उसका हित था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा की गई सेवा अनाज आपूर्ति योजना के तहत खाद्यान्न की बिक्री थी और अनुबंध ऐसे खाद्यान्न की बिक्री के लिए नहीं था और धारा 7(घ) के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते थे।

उन्होंने कहा कि यह अनुबंध सरकार द्वारा किए गए किसी भी सेवा के निष्पादन के लिए नहीं था और अपीलकर्ता धारा 7(घ) के तहत अयोग्य नहीं था। जमानत का अनुबंध, जिसमें जमानतदार पर अपने गोदामों में अनाज का भंडारण करने का दायित्व था, सरकार द्वारा किए गए अनाज की बिक्री की सेवा के उद्देश्य से अनुबंध नहीं था। सरकार ने अनाज की आपूर्ति का कार्य किया था, लेकिन अनुबंध अनाज की आपूर्ति के लिए नहीं था।

*एन. सत्यनाथन बनाम के. सुब्रमण्यम (1955) 2 एस.सी.आर. 83 और वी. वी. रामास्वामी बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, तिरुनेलवेली (1933) 8 ई.एल.आर. 233, से भिन्न।*

दीवानी अपील क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 388/1960

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 3 फरवरी, 1959 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील चुनाव अपील संख्या 10/1958 अपीलकर्ता के लिए एस. पी. वर्मा उपस्थित हुए।

उत्तरदाता संख्या 1 के लिए एल. के. झा और डी. गोवर्धन।

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए एल. के. झा और के. जे. सिन्हा

17 नवंबर, 1960 न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर द्वारा सुनाया गया - क्या अपीलकर्ता राम पदरथ महतो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 7(घ) के तहत बिहार विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं? यही वह संक्षिप्त प्रश्न है जो विशेष अनुमति से दायर इस अपील में हमारे निर्णय के लिए उठता है। अपीलकर्ता बिहार राज्य विधानमंडल के लिए दरभंगा जिले के दलसिंहसराय निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों में से एक थे। उक्त निर्वाचन क्षेत्र दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है; इसमें दो सदस्यों का चुनाव करना आवश्यक था, एक सामान्य वर्ग के लिए और दूसरा बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र ने 19 जनवरी, 1957 को मतदाताओं से सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 1957 निर्धारित की गई थी। अपीलकर्ता ने 28 जनवरी, 1957 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, और अगले दिन सात अन्य सदस्यों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 1 फरवरी, 1957 को, अपीलकर्ता द्वारा दाखिल नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने माना कि अपीलकर्ता सहकारी समितियों के निरीक्षक होने के नाते उस समय सरकारी कर्मचारी थे और इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। उन्होंने यह भी पाया कि अपीलकर्ता एक संयुक्त

और अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य थे, जो बिहार सरकार और संयुक्त परिवार की फर्म, नेबी महतो बिशुंदयाल महतो के बीच हुए अनुबंध के तहत अनाज के स्टॉकिस्ट के रूप में सरकार का व्यवसाय करता था। इसके बाद विधिवत चुनाव संपन्न हुआ और श्री मिश्री सिंह और श्री बालेश्वर राम, उत्तरदाता 1 और 2 को क्रमशः सामान्य और आरक्षित सीट के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। इस चुनाव की वैधता को अपीलकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका संख्या 428/1957 के माध्यम से चुनौती दी। इस याचिका में उन्होंने विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए दो उम्मीदवारों और चुनाव में भाग लेने वाले पांच अन्य उम्मीदवारों को पक्षकार बनाया। चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह उस समय बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 13 जनवरी, 1957 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा 25 जनवरी, 1957 को स्वीकार कर लिया गया था, जिससे उन्हें उस तिथि से पद से मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनके परिवार में विभाजन हो गया था और संबंधित अनुबंध में उनका कोई हिस्सा या हित नहीं था। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि यदि अपीलकर्ता का उक्त अनुबंध में कोई हित था भी, तो वह अधिनियम की धारा 7(घ) के दायरे में नहीं आता। इन दलीलों का उत्तरदाता 1 और 2 ने खंडन किया, जिन्होंने अपीलकर्ता की चुनाव याचिका का विरोध किया।

चुनाव न्यायाधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन सरकारी कर्मचारी नहीं था, और इसलिए उसके अनुसार, प्रतिवेदक द्वारा उसके नामांकन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार करना गलत था कि वह उस समय सरकारी कर्मचारी था। चुनाव न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि परिवार में विभाजन हुआ था, और यह माना कि संबंधित समय पर अपीलकर्ता उस संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य बना रहा जिसने बिहार सरकार के साथ प्रश्नगत अनुबंध किया था। हालांकि, उसकी राय में, उक्त अनुबंध की प्रकृति को देखते हुए, यह मानना संभव नहीं था कि

अपीलकर्ता धारा 7(घ) के तहत अयोग्य था, और इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवेदक द्वारा इस आधार पर भी अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को अस्वीकार करना गलत था। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया, यह घोषित किया कि नामांकन पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, और दोनों उत्तरदाताओं का चुनाव अमान्य था।

इस निर्णय के विरुद्ध दोनों उत्तरदाताओं ने पटना उच्च न्यायालय में दो अपीलें दायर कीं (चुनाव अपील संख्या 9 और 10, 1958)। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि अपीलकर्ता संबंधित समय पर सरकारी कर्मचारी नहीं था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से भी सहमति व्यक्त की कि प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता अविभाजित हिंदू परिवार का सदस्य था। हालाँकि, अनुबंध की व्याख्या के संबंध में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की और यह माना कि उक्त अनुबंध के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 7(घ) के अंतर्गत अयोग्य हो गया था। इस निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो गया कि अपीलकर्ता का नामांकन पत्र विधिवत रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था। इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय ने यह विचार करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या न्यायाधिकरण ने न केवल उत्तरदाता 1 बल्कि उत्तरदाता 2 के चुनाव को भी अमान्य घोषित करने में सही निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय के इसी निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता विशेष अनुमति से इस न्यायालय में आया है; और उसकी ओर से उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय धारा 7(घ) के तहत उसे अयोग्य घोषित करने के निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटिपूर्ण था। इस प्रश्न का निर्णय स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से विचाराधीन अनुबंध की व्याख्या और उसके प्रभाव पर निर्भर करता है।

अधिनियम की धारा 7 संसद या राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान करती है। धारा 7(घ), जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू थी और जिससे हम

वर्तमान अपील में संबंधित हैं, अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह स्वयं या उसके लिए न्यास में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा या उसके लाभ के लिए या उसके खाते पर, उपयुक्त सरकार को माल की आपूर्ति, किसी कार्य के निष्पादन या किसी सेवा के निष्पादन के लिए किए गए किसी अनुबंध में कोई हिस्सा या हित रखता है। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों के आधार पर, अब यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता का विचाराधीन अनुबंध में हित है; अतः धारा 7(घ) का पहला भाग संतुष्ट होता है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि अनुबंध धारा 7(घ) के अंतिम भाग को आकर्षित करता है। 7(घ) चूंकि उच्च न्यायालय के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के निवासियों को अनाज की आपूर्ति करने की सेवा प्रदान करने का वचन दिया था और अपीलकर्ता के परिवार की फर्म ने उक्त सेवाओं के निष्पादन के लिए अनुबंध किया था। धारा 7(घ) का अंतिम भाग यह मानता है कि उपयुक्त सरकार ने कुछ विशिष्ट सेवाओं को प्रदान करने का दायित्व लिया है, और इन्हीं सेवाओं के निष्पादन के लिए किसी नागरिक ने अनुबंध किया है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी नागरिक ने उक्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निष्पादन हेतु उपयुक्त सरकार के साथ अनुबंध किया है, तो उस पर धारा 7(घ) लागू होती है। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से दो प्रश्न उठाता है: उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं? क्या उक्त सेवाओं के निष्पादन हेतु अनुबंध किया गया है?

इस स्तर पर अनुबंध की मुख्य शर्तों पर विचार करना आवश्यक है। यह अनुबंध 8 फरवरी, 1956 को बिहार के राज्यपाल (जिन्हें प्रथम पक्षकार बताया गया है) और फर्म (जिन्हें द्वितीय पक्षकार बताया गया है) के बीच हुआ था। अनुबंध की प्रस्तावना से पता चलता है कि प्रथम पक्षकार को दरभंगा जिले में अनाज का भंडार करना था और सरकार की अनाज आपूर्ति योजना के तहत बिक्री हेतु अनाज का भंडारण करना था, जिसके लिए एक

उचित संरक्षक और जमानतदार की आवश्यकता थी। इसमें यह भी कहा गया है कि द्वितीय पक्षकार ने ऐसे अनाज के भंडार का संरक्षक और जमानतदार बनने के लिए आवेदन किया था, जिसे प्रथम पक्षकार अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट शर्तों और तरीके से, या अनिवार्य रूप से निहित शर्तों और तरीके से, एकमुश्त या समय-समय पर द्वितीय पक्षकार को सौंपेगा। अनुबंध के खंड 1 में यह प्रावधान है कि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार के निर्देश पर, रेलगाड़ियों से या प्रथम पक्षकार द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान से अनाज ग्रहण करेगा; इसके बाद दूसरे पक्ष को दालसिंहसराय स्थित अपने गोदाम में अनाज का भंडारण करवाना होता था और पहले पक्ष द्वारा अनुमोदित दूसरे पक्ष के गोदाम में या पहले पक्ष द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर तौलने के बाद उसे पहले पक्ष को वापस सौंपना होता था। चने की ढुलाई दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं या पहले पक्ष द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार द्वारा की जानी थी। खंड 2 के अनुसार दूसरे पक्ष पर रजिस्टर रखने और उसके अंतर्गत निर्धारित खातों का हिसाब रखने का दायित्व था। खंड 3 के तहत दूसरे पक्ष ने अपने खर्च पर आवश्यक भंडार और प्रतिष्ठान रखने का वचन दिया। खंड 4 के अनुसार दूसरे पक्ष पर खाद्यान्न भंडार की रक्षा करने या आगे दिए गए प्रावधानों को छोड़कर हानि की भरपाई करने का दायित्व था। खंड 5 से 8 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। खंड 9 में प्रावधान है कि दूसरा पक्ष दरभंगा के जिला मजिस्ट्रेट के पास गिरवी रखे गए बचत बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करेगा और खंड में निर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करेगा। खंड 10 दूसरे पक्ष के पारिश्रमिक से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि प्रथम पक्ष इस समझौते में किए गए कार्य के लिए द्वितीय पक्ष को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह पारिश्रमिक प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि के आदेश या निर्देशों के तहत उसके कब्जे से स्थानांतरित या अधिग्रहित किए गए स्टॉक के मूल्य पर 1 प्रतिशत रुपये की दर से होगा, जिसकी गणना सरकार द्वारा अनाज की थोक बिक्री के लिए समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार की जाएगी। इस खंड में यह भी कहा गया है कि यदि प्रथम पक्ष समझौते की समाप्ति के कारण द्वितीय पक्ष के पास पड़े

शेष स्टॉक को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, तो द्वितीय पक्ष को कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। शेष खंडों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अनुबंध की शर्तें जमानती अनुबंध की हैं। राज्य सरकार खाद्यान्नों के भंडारण और भंडारण का कार्य किसी संरक्षक या जमानतदार को सौंपना चाहती थी। इस संबंध में अपीलकर्ता की फर्म ने आवेदन किया और अंततः उसे जमानतदार नियुक्त किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अनुबंध के द्वारा फर्म ने राज्य सरकार के खाद्यान्नों के भंडारण और भंडारण का कार्य ग्रहण किया है; और यदि यह उचित रूप से माना जा सकता है कि वर्तमान मामले में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की गई सेवा खाद्यान्नों के भंडारण की थी, तो विचाराधीन अनुबंध स्पष्ट रूप से धारा 7(घ) के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। हालांकि, श्री वर्मा का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रहण की गई सेवा उसकी अनाज आपूर्ति योजना के तहत खाद्यान्नों की बिक्री है; और उनका तर्क है कि जब तक अनुबंध यह नहीं दर्शाता कि यह उक्त वस्तुओं की बिक्री के लिए था, तब तक यह धारा 7(घ) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार द्वारा अनाज की आपूर्ति के लिए अपनाई गई योजना चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा की गई सेवाओं की सटीक प्रकृति और सीमा का निर्धारण केवल संबंधित अनुबंध के संदर्भ में ही किया जा सकता है। यह सच है कि अनुबंध बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार के निवासियों को बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के भंडारण और भंडारण से संबंधित है; लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि खाद्यान्नों का भंडारण और भंडारण खाद्यान्नों की बिक्री का इतना अभिन्न या आवश्यक हिस्सा है कि खाद्यान्नों के भंडारण और भंडारण के अनुबंध को अनिवार्य रूप से उनकी बिक्री का अनुबंध माना जाए? हमारी राय में, यह तर्क स्वीकार करना कठिन है कि खाद्यान्नों का भंडारण और भंडारण राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई आपूर्ति योजना का इतना आवश्यक और अभिन्न हिस्सा है।

सैद्धांतिक रूप से, खाद्यान्नों का भंडारण और भंडारण खाद्यान्नों की बिक्री योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए ऐसी योजना अपनाना संभव हो सकता है जिसके तहत राज्य सरकार को खाद्यान्नों का भंडारण किए बिना ही उनकी आपूर्ति की जा सके; और इसलिए खाद्यान्नों का भंडारण और भंडारण का कार्य कुछ मामलों में योजना का आकस्मिक हिस्सा हो सकता है, न कि उसका आवश्यक हिस्सा। यह महत्वपूर्ण है कि अनुबंध के तहत माल की बिक्री फर्म के गोदाम में कभी नहीं होनी थी। यह हमेशा अन्य विक्रय केंद्रों या दुकानों पर होनी थी; इस प्रकार, माल के भंडारण और उसकी बिक्री के बीच समय का अंतराल है। इस अनुबंध द्वारा फर्म पर एकमात्र दायित्व माल का संरक्षक या जमानतदार होना, उसे अच्छी स्थिति में रखना और पहले पक्ष द्वारा निर्देशित वजन के बाद उसे सौंपना था। यह निर्विवाद है कि जमानतदार के लिए पारिश्रमिक उसके कब्जे से स्थानांतरित या लिए गए स्टॉक के मूल्य पर 1 रुपये प्रति प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है; लेकिन यह केवल गोदामों के किराए सहित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अनुबंध द्वारा अपनाई गई विधि या तरीके को दर्शाता है; यह अप्रत्यक्ष रूप से भी माल की बिक्री के साथ अनुबंध के संबंध को नहीं दर्शाता है। क्या यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा उत्पादकों से खाद्यान्न खरीदने या खरीद के बाद उन्हें गोदामों तक पहुंचाने के लिए किए गए अनुबंध माल की बिक्री या आपूर्ति के अनुबंध हैं? माल की खरीद और उसका परिवहन निस्संदेह उसे बेचने या आपूर्ति करने की योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी है, फिर भी यह मानना कठिन होगा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों या परिवहन एजेंसी के साथ किया गया अनुबंध माल की बिक्री का अनुबंध है। हमने इस अनुबंध की मुख्य शर्तों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, और मौजूदा अभीलेख के आधार पर हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सकते कि जमानत का अनुबंध, जिसमें जमानतदार पर अपने गोदाम में अनाज का भंडारण करने का

दायित्व है, उसे अनाज की बिक्री की सेवा के उद्देश्य से किया गया अनुबंध कहा जा सकता है, जिसे राज्य सरकार ने धारा 7(घ) के अर्थ में ग्रहण किया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य बिहार राज्य के लोगों को अनाज की आपूर्ति करना था; और उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि फर्म का बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध में हिस्सा था और वह उसमें हितधारक थी।

हमें लगता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति अनिवार्य रूप से या आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है। यदि राज्य सरकार द्वारा किया गया कार्य अनाज की आपूर्ति करना है, तो यह अनिवार्य रूप से कैसे सिद्ध होता है कि वह अनुबंध जिसके द्वारा जमानतदार ने अनाज के भंडारण का दायित्व लिया था, अनाज की आपूर्ति का अनुबंध था? यह तकनीकी लग सकता है, लेकिन किसी ऐसे वैधानिक प्रावधान से निपटते समय जो किसी नागरिक पर अयोग्यता लगाता है, केवल एक व्यापक और सामान्य दृष्टिकोण अपनाना और तकनीकी होने के आधार पर आवश्यक अंतरों को अनदेखा करना अनुचित होगा। मुख्य प्रश्न यह है: यदि राज्य सरकार ने अनाज की आपूर्ति का कार्य किया है, तो क्या अनुबंध अनाज की आपूर्ति का है? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए; यही कारण है कि हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुबंध के प्रभाव को सही ढंग से नहीं समझा जब उसने यह माना कि उक्त अनुबंध ने अपीलकर्ता के मामले को धारा 7(घ) के दायरे में ला दिया।

अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि उसका यह दृष्टिकोण *एन. सत्यनाथन बनाम के. सुब्रमण्यन* (1) मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय से समर्थित है। उस मामले में, अपीलकर्ता, जो एक ठेकेदार था, ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया

था जिसके तहत उसने राज्यपाल-जनरल को अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के लिए सभी डाक वस्तुओं के पारगमन और परिवहन के लिए मोटर वाहन सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था, और राज्यपाल-जनरल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इसके प्रतिफल के रूप में, सरकार ने ठेकेदार को समझौते की अवधि के दौरान "उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के पारिश्रमिक के रूप में" प्रति माह 200 रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनुबंध पर इस न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न उठाए गए थे। पहला यह तर्क दिया गया कि जब केंद्र सरकार ने ठेकेदार के माध्यम से डाक थैलों और डाक सामग्री के परिवहन की व्यवस्था की, तो उसने अधिनियम की धारा 7(घ) के अर्थ में कोई सेवा प्रदान नहीं की। इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यद्यपि सरकार एक संप्रभु राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में डाक सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं थी, फिर भी उसने वास्तव में भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत जनता की सुविधा के लिए ऐसा करने का वचन दिया था। तत्कालीन न्यायाधीश सिन्हा ने टिप्पणी की, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि डाक विभाग एक बहुत ही उपयोगी सेवा प्रदान कर रहा है, और अपीलकर्ता ने सरकार के साथ अपने अनुबंध द्वारा एक निर्दिष्ट मार्ग पर उस प्रकार की सेवा प्रदान करने का वचन दिया है"; और उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 7(घ) के तहत परिकल्पित अनुबंध का एक सीधा उदाहरण है।" हमारे विचार में, यह सरल उदाहरण अधिनियम की धारा 7(घ) के अंतर्गत आने वाले अनुबंधों के वर्ग और प्रकार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सरकार को एक निर्दिष्ट सेवा या निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने का वचन देना चाहिए और अनुबंध उक्त सेवा या सेवाओं के प्रावधान के लिए होना चाहिए। *एन. सत्यनाथन* (1) के मामले में अनुबंध का यही उद्देश्य था। यह समझना कठिन है कि यह मामला उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का समर्थन कैसे कर सकता है कि माल के भंडारण

और भंडारण का अनुबंध उस स्थान के निवासियों को माल की आपूर्ति और बिक्री की सेवा प्रदान करने का अनुबंध है।

इस संबंध में, उत्तरदाताओं की ओर से श्री झा ने मद्रास उच्च न्यायालय के *वी.वी. रामास्वामी बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, तिरुनेलवेली* (1) के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उस मामले में न्यायालय का विचार चार अनुबंधों से था, जिनके तहत अनुबंध करने वाले पक्ष ने मद्रास सरकार के आरक्षित अनाज भंडार को सुरक्षित रखने, उसका भंडारण करने और सरकार के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करने पर सहमति व्यक्त की थी। दूसरे शब्दों में, यह अनुबंध न केवल खाद्यान्नों के भंडारण और भंडारण के लिए था, बल्कि उसके निपटान के लिए भी था, और इसका स्वाभाविक अर्थ यह था कि यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य के लिए था। यह निर्णय वर्तमान अपील में उत्तरदाताओं की सहायता नहीं कर सकता।

अंततः हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के उस निष्कर्ष को पलटना उचित नहीं था कि विचाराधीन अनुबंध अधिनियम की धारा 7(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। अतः अपील स्वीकार की जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हम इस मामले का अंतिम निपटारा नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रश्न पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है, और वह यह है कि क्या अपीलकर्ता के नामांकन पत्र को अनुचित रूप से खारिज किए जाने के निष्कर्ष से यह निर्णय लिया जा सकता है कि न केवल उत्तरदाता 1 बल्कि उत्तरदाता 2 का चुनाव भी अमान्य घोषित किया जाए। चुनाव न्यायाधिकरण ने पूरे चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है, और उच्च न्यायालय में दायर अपनी-अपनी अपीलों में दोनों उत्तरदाताओं ने उस निर्णय की वैधता को चुनौती दी है। हालांकि, उच्च न्यायालय का मानना था कि चूंकि उसकी राय में

अपीलकर्ता का नामांकन पत्र उचित रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए दूसरे बिंदु पर विचार करना अनावश्यक था। अब इस बिंदु पर उच्च न्यायालय को विचार करना होगा। अतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और कार्यवाही को वापस उच्च न्यायालय को भेजते हैं ताकि वह दूसरे प्रश्न पर विचार कर सके और कानून के अनुसार शीघ्रता से अपीलों का निपटारा कर सके। इस मामले की परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं कि पक्षकार इस न्यायालय में अपना-अपना खर्च वहन करें। उच्च न्यायालय में खर्च उसके समक्ष अपील में खर्च के बराबर होगा।

*अपील स्वीकार की गई।*

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।